डीजी परिपत्र संख्या- 04 /201

अतुल,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश,
1-बी0एन लहरी मार्ग, लखनऊ

दिनांकः लखनऊः जनवरी 29 ,2012

**विषय- विवेचना में गुणात्मक सुधार लाने हेतु जनपदों में स्थापित फील्ड यूनिटों के अधिकाधिव उपयोग के सम्बन्ध में।**

---

प्रिय महोदय,

प्रायः देखा जा रहा है कि कतिपय जनपदों द्वारा जनपदों में स्थापित फील्ड यूनिट क भौतिक साक्ष्य संकलन हेतु समुचित उपयोग विवेचना में नहीं किया जा रहा है, जो कदापि उचित नहीं है। क्षेत्र में घटित अपराधों के संज्ञान में आने पर उन्हें समस्त उचित धाराओं व अन्तर्गत पंजीकृत कर तदनुसार विवेचना कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2. विवेचकों द्वारा की जाने वाली विवेचना केवल मौखिक साक्ष्यों पर ही आधारित रहती है और विवेचना में भौतिक साक्ष्यों (Physical Evidence) पर समुचित ध्यान नहीं दिय जाता है। मौखिक साक्ष्य पर ही आधारित विवेचना से सम्बन्धित अभियोग का न्यायालय मे विचारण होने पर अपराधी का दोष सिद्ध कर पाना कठिन होता है।

3. आवश्यक है कि जनपदों में प्रतिस्थापित फील्ड यूनिट को घटनाओं के घटित होने के तत्काल बाद उपयोग में लाया जाय यथा घटनास्थल से मिल सकने वाले महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य यथा अपराधी की शरीर के विभिन्न स्राव (Secretion), खून, पसीना, थूक, लार, मल-मूत्र आदि के धब्बे/अवशेष (DNA Sampling) हेतु तथा अंगुष्ठ/पद छाप घटनास्थल से अतिशीघ्र एकत्र किये जाय और उनकी छाप उठाकर अपराधी के विरूद्ध प्रामाणिक साक्ष्य जुटाया जाय। इस प्रकार के कार्य से जहां फील्ड यूनिट की सार्थकता बढ़ेगी वहीं भौतिक साक्ष्यों के संकलन के द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने के कार्य में भी गति आयेगी।

4. यदि किसी घटना में विवेचना के प्रारम्भिक स्तर/निरीक्षण घटना स्थल के समय से ही विवेचनाधिकारियों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा भौतिक साक्ष्यों पर पर्याप्त ध्यान देते हुये वैज्ञानिक विधियों एवं भौतिक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जाय तो इस कार्यवाही से एक ओर विवेचना की गुणवत्ता में वृद्धि होगी तथा दूसरी ओर न्यायालय में अभियोग के परीक्षण के दौरान अपराधियों की दोषसिद्धि की सम्भावनायें भी बढ़ेगी एवं पुलिस कार्यवाही में अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकेगें।

5. उचित होगा कि जनपदों में स्थापित फील्ड यूनिट की सेवायें जनपदीय नियन्त्रण कक्ष से अनिवार्य रूप से विनियमित करायें तथा हत्या, डकैती के साथ हत्या, लूट, फिरौती हेतु अपहरण, रोड होल्डप, राजमार्गों पर सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों, स्वचालित/अर्द्ध चालित

Scanned by CamScanner

शस्त्रों द्वारा किये गये अपराधों, बलात्कार के साथ हत्या के अपराधों एवं महत्वपूर्ण चोरी के विवरण के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण अपराधों की सूचना समय से फील्ड यूनिट को दी जाय।

6. आपसे अपेक्षा की जाती है कि जनपदों में घटित घटनाओं में, अपराधों के अनावरण हेतु फील्ड यूनिटों को उपलब्ध कराये गये अत्याधुनिक उपकरणों का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए साक्ष्य संकलन में विधि विज्ञान तकनीक का भली-भॉति उपयोग भी सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

29.1.

( अतुल )

समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक(नाम से)
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अप0शा0,अप0अनु0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
3.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
4.पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5.निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ।

Scanned by CamScanner